न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना, मेरठ

दाण्डिक वाद सं0–202/2017
मु0अ0सं0–76/2017
सरकार बनाम दीपक आदि
अन्तर्गत धारा–392, 411, 414 भा0दं0सं0
थाना–सरूरपुर, जिला मेरठ ।

दिनांकः 14.05.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त विपुल जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है । पत्रावली आदेशार्थ नियत है ।

प्रार्थी/अभियुक्त विपुल जैन की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 दं0प्र0सं0 दिनांकित 30.04.2019 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है । वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है । प्रार्थी एक व्यापारी है और कस्बा अमीनगर सराय में एक कपड़े की दुकान करता है । उसका अपराध से कोई लेना देना नहीं है । प्रार्थी न तो किसी कैन्टर की लूट में शामिल रहा है और न ही प्रार्थी से अपराध से सम्बन्धित किसी वस्तु की बरामदगी हुई है । पुलिस द्वारा दिनांक 16.03.2017 को एक गोदाम स्थित लुहारा से अपराध से सम्बन्धित बताते हुए एक तिरपाल/पन्नी व रस्सी आदि बरामद दर्शाते हुए उक्त तिरपाल व रस्सी आदि को लूटे गये कैन्टर से सम्बन्धित बताया उक्त गोदाम को प्रार्थी का बताते हुए इस अपराध में अभियुक्त बनाया गया है, जबकि प्रार्थी का उक्त गोदाम से कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त गोदाम प्रार्थी का नहीं है । उक्त गोदाम की मालिक श्रीमती कुसुमलता जैन निवासी अमीनगर सराय, जिला बागपत है तथा श्रीमती कुसुमलता जैन के द्वारा उक्त गोदाम को उक्त अपराध के अभियुक्त तैयब अली उर्फ तेजी पुत्र अजीज निवासी ग्राम लुहारा तहसील व जिला बागपत को एक किरायानामा लेख लिखने के बाद दिनांक 07.10.2016 को अंकन बारह सौ रूपये प्रतिमाह किराये पर दे रखा है । अभियुक्त के विरूद्ध इस अपराध में केस डायरी में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । प्रार्थी के विरूद्ध कोई गवाह नहीं है । प्रार्थी के कब्जे से इस अपराध से सम्बन्धित कोई सामान बरामद नहीं है । इस कारण प्राथी के विरूद्ध आरोप बनाये जाने का कोई आधार नहीं है । प्रार्थी द्वारा एक APPLICATION U/S 482 No. 40738 of 2018 विपुल जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थी के विरूद्ध जारी इस अपराध की कार्यवाही समाप्त करने हेतु योजित की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.11.2018 से आदेशित किया है कि प्रार्थी उपरोक्त तथ्यों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जिसकी अनुपालन में प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से योजित किया जा रहा है । अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप

अन्तर्गत धारा 411 व 414 भा0ंद0सं0 से उन्मोचित करने की याचना की गयी है ।

अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिव शंकर, न्यायमूर्ति गज्जो बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है ।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है ।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त घटना के विषय में एफ0आई0आर0 दिनांक 06.03.2017 को सरकार बनाम अज्ञात में योजित की गयी । जिस पर अन्तर्गत धारा–392, 411, 414 भा0ंद0सं0 का आरोप पत्र दिनांक 18.05.2017 को प्रेषित किया, जिसमें यह कथन किया गया है कि .....*श्रीमान जी निवेदन है कि वादी श्री जावेद पुत्र न्याजूद्दीन निवासी खरदौनी थाना इंचौली, जिला मेरठ की सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 76/17 धारा 379 भा0ंद0सं0 पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उपनिरीक्षक के सुपुर्द हुई जिसमें वादी के बयान एंव अभियुक्त से हुई बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 379 भा0ंद0सं0 का होना न पाकर धारा 392, 411, 414 भा0ंद0सं0 का होना पाया गया । विवेचना से अभियुक्तगण दीपक पुत्र विजयपाल निवासी खिन्दौड़ा थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत, तैय्यब अली उर्फ तेजी पुत्र अजीज, मेहर खान पुत्र कयामू खान, परवेज सैफी पुत्र शकील अहमद, शोएब पुत्र नफीस निवासीगण लुहारा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत, विपुल जैन पुत्र स्व0 विरेन्द्र कुमार जैन निवासी कस्बा व थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत के नाम प्रकाश में आये । अब तक की तमामी विवेचना, नकल चिक, रपट, बयान, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, निरीक्षण घटनास्थल एवं लूटा गया माल की बरामदगी से अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरूद्ध धारा 411/414 भा0ंद0सं0 व अभियुक्तगण तैय्यब अली उर्फ तेजी, मेहर खान, परवेज सैफी, शोएब उपरोक्त के विरूद्ध धारा 392 भा0ंद0सं0 का अपराध बखूबी साबित होता है, जिनका चालान द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय किया जाता है । माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर अभियुक्तगण को दण्डित करने की कृपा करें । अभियुक्त विपुल जैन के विरूद्ध विवेचना जारी है.....* तत्पश्चात् दूसरा आरोप पत्र दिनांक 12.08.2017 को प्रस्तुत कर आरोप पत्र में यह कथन किया गया है कि .....*महोदय निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त वादी की तहरीर पर पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 के सुपुर्द हुई । तमामी विवेचना बयान वादी, गवाहान निरीक्षण घटनास्थल व माल बरामदगी से अभियुक्त विपुल जैन पुत्र स्व0 विरेन्द्र कुमार जैन निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत के विरूद्ध जुर्म धारा 411, 414 भा0ंद0सं0 का अपराध बाखूबी साबित है । अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्वंय की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए अभियुक्त को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश देकर छोड़ा गया । अतः अभियुक्त विपुल जैन पुत्र स्व0 विरेन्द्र कुमार जैन निवासी उपरोक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र माननीय उच्च न्यायालय किया जाता है । निवेदन है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें । अभियुक्त दीपक, तैय्यब अली*

उर्फ तेजी, मेहर खान, परवेज सैफी, शोएब के विरूद्ध आरोप पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, विवेचना समाप्त की जाती है..... अवलोकनीय है कि पत्रावली में उपलब्ध केस डायरी में सी0डी0 पर्चा नं0 III में यह कथन किया गया है कि मुखबिर की सूचना पर अभियोग से सम्बन्धित माल तिरपाल व ट्रक के जैक रॉड, स्टफनी आदि वादी व क्लीनर द्वारा पहचान लिया गया, जो विपुल जैन, अर्पित जैन के गोदाम जो ग्राम लुहारा मैन रोड स्थित है, से रूबरू गवाहान के समक्ष बरामद हुआ । सी0डी0 पर्चा नं0 IV में यह कथन किया गया है कि बयान अभियुक्त दीपक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरा साथी विपुल जैन, तैयब अली, मेहरखान, परवेज सैफी व शोएब द्वारा लूटा गया था । मैं व विपुल जैन माल को बेचने हेतु शामली व मु0नगर ले जा रहे थे, जगह विपुल जैन को मालूम है। विपुल जैन ही स्कार्पियो चला रहा था और कैन्टर के ड्राईवर को मैं नहीं जानता, विपुल जैन ने ही उसको बुलवाया था । इसके अतिरिक्त बयान अभियुक्तगण सी0डी0 पर्चा नं0 XII में यह कथन किया गया है कि बयान अभियुक्तगण तैय्यब अली, मेहरखान, परवेज सैफी व शोएब ने जुर्म की गलती मानते हुए बताया कि हम सभी ने मिलकर यह घटना की थी और कैन्टर विपुल के गोदाम में खड़ा कर दिया था । विपुल जैन लूट की जानकारी थी, बाद में हमें पता चला कि वह गुड़ पुलिस द्वारा पकड़ा गया है । स्कार्पियो गाड़ी काले रंग की थी, जिसका हमने लूट में प्रयोग किया था, वह विपुल जैन की है। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि जिस गोदाम से माल बरामद हुआ, उस गोदाम से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त गोदाम की मालिक श्रीमती कुसुमलता जैन निवासी अमीनगर सराय जनपद बागपत है तथा श्रीमती कुसुमलता जैन के द्वारा उक्त गोदाम को उक्त अपराध के अभियुक्त तैयब अली उर्फ तेजी को किराये पर दे रखा है । प्रार्थी का यह कथन एक साक्ष्य का विषय है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप विरचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रतिपादित की गयी हैं–

- **Delhi Rajya Vs Gyan Devi and 2 Others (2000) 8SCC 239**
- **Bihar Rajya Vs Ramesh Singh (1977) 4SCC**
- **Maharashtra Rajya Vs Priyasaran Maharaj (1997) 4SCC 393**

उक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित करने के स्तर पर न्यायालय के लिये बाध्यकारी नहीं है कि वह समस्त संभावनाओं तथा तथ्यों को गहनता से विवेचित करें और यह निष्कर्ष निकाले कि क्या अभियुक्त दोष सिद्ध हो सकता है । इस स्तर पर यह विनिश्चित नहीं करना है कि क्या उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है । आरोप विरचित किये जाने जैसे प्रारम्भिक अवस्था में मजबूत शंका पर्याप्त है । आरोप विरचित किये जाने पर विचारण सदृशः गहनता से

साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं है । यह भी कहा गया है कि आरोप के स्तर पर अभियुक्त द्वारा कोई प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार नहीं है । इस स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण पीठ की विधि व्यवस्था **उड़ीसा बनाम देवेन्द्र नाथ पाढ़ी 2005 एस.सी.सी.(कि0455)** एवं State by the Inspector of police Chennai Vs S. Selvi and anothers AIR 2018 SC. 81 का उल्लेख किया जाना समीचीन है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है । प्रार्थी द्वारा जो तर्क दिये गये हैं, दौरान साक्ष्य प्रार्थी को उनके सफाई स्तर में यह तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त रहेगा । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 239 दं0प्र0सं0 निरस्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–239 दं0प्र0सं0 दिनांकित 30.04.2019 निरस्त किया जाता है । पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश नियत तिथि को पेश हो ।

(मौ0 जुल्करनैन आलम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सरधना,
(मेरठ)

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.
(Pawan kumar tomar)